भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1110

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**गैर-सरकारी संगठनों को वार्षिक अनुदान जारी न किया जाना**

1110. श्री तरुण विजयः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गैर-सरकारी संगठनों को कितने वर्षों से वार्षिक अनुदान जारी नहीं किए गए हैं;

(ख) वार्षिक अनुदान जारी करने की प्रणाली को अद्यतन रखने के लिए अपेक्षित निधियां की मात्रा क्या है;

(ग) क्या इस अंतर से ऐसे अनुदान की कमी वाले गैर-सरकारी संगठनों के अन्तर्गत संचालित स्कूलों में जनजातीय बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो रही है और इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय इस वर्ष संशोधित अनुमान स्तर पर एकमुश्त जारी किए जाने वाले अतिरिक्त बजट के अनुरोध पर विचार कर रहा है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) : गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदानों के लिए प्रस्ताव का प्रक्रियान्वयन एक सतत् एवं निरंतर izfdz;k है। पात्र गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान “अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान” योजना के तहत निधियों की वर्षवार उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है।

(ख) : योजना के लिए आवश्यक निधि अलग-अलग वर्ष में भिन्न हो सकती है। तथापि, वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि तक सीमित है।

(ग) : स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के चयन के समय, पात्रता शर्तों में से एक यह है कि वह संगठन अपने अंश के योगदान के लिए वित्तीय रुप से समर्थ है तथा सीमित समय के लिए मंत्रालय से सहायता के अभाव में कार्य जारी रखने के योग्य है।

(घ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*